प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक, चन्द्रा पब्लिक स्कूल चकमेंहदी, मऊ
जनपद-मऊ।

पत्रांक: 25-69 /98-99 दिनांक: 15-5-98

विषय:- प्राइमरी पाठशाला कक्षा 1 से 5 तक स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में सूच्य है कि क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति पर जिला मान्यता समिति के निर्णय के आधार पर आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता निम्न लिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

1- विद्यालय समिति पंजीकृत हो तथा समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
2- सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों। कोई अप्रशिक्षित अध्यापक मान्य नहीं होगा।
3- सभी अध्यापकों को बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापक के बराबर वेतन दिया जाय।
4- सभी कक्षाओं के लिए शिक्षण कक्ष पक्के बनवाये जाय तथा विद्यालय भवन जिस भूमि पर हो वह विद्यालय के नाम हो।
5- विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों का पालन किया जाय।
6- रूपये 1000=00 (रूपये एक हजार मात्र) सुरक्षित कोष के रूप में जमा हो तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद नाम से प्लेज हो।
7- विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क लिया जाय।
8- विभाग द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
9- विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों का ही प्रयोग किया जायेगा।
10- विद्यालय के नाम 2000 वर्गमीटर खेल का मैदान हो जो वर्गाकार हो।
11- विभागीय आदेशों/निर्देशों का अनुपालन न करने अथवा किसी तथ्य को छिपाकर मान्यता लेने की दशा में आपकी मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
चन्द्रा पब्लिक स्कूल
चकमेंहदी, मऊ।

पत्रांक/ मान्यता/ 174 - 83 /2002-2003 दिनांक: 30-10-2002

विषय:-अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जू0हा0स्कूल) अस्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश सं0646/15-5-97-18 एम (7)/89 दिनांक: 13अगस्त97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के संस्तुति/निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा-6से8तक जूनियर हाई स्कूल की अस्थाई मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति प्रदान की जाती है।इस प्रकार विद्यालय में कुल तीन वर्ग मान्य होंगे।अतिरिक्त वर्गों के संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

1-शासनादेश में निहित मानक के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पद अनुमन्य होंगे।

(अ)प्रधानाध्यापक-एक (ब) सहायक अध्यापक-चार (जिसमें एक अध्यापक विज्ञान एवं एक भाषा का होगा)

(स) लिपिक-एक (द)चतुर्थश्रेणी-एक।

2-सभी शिक्षकों का प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।

3-विद्यालय में मानक अनुसार पक्के भवन, शौचालय, खेलकूद का मैदान एवं साज-सज्जा की व्यवस्था करें।

4-विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं आतिथिक नवीनीकृत होना अनिवार्य है।

5-विद्यालय के शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी एवं हिन्दी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जायेगी तथा शिक्षण शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ली जायेगी।

6-संस्था के प्रबन्धक द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रेषित आवेदन पत्र एवं अभिलेखों/पत्रजातों में किसी तरह का तथ्य गोपन प्रकाश में आने पर तथा समय-समय पर जारी शासकीय/विभागीय नियमों/निर्देशों का पालन न करने पर मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 में सुरक्षित होगा।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

पृ0सं0/ /2002-2003 तद्दिनांक 30/10/02

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1-शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0लखनऊ।
2-अपर शिक्षा निदेशक (बे0) शिक्षा निदेशालय उ0प्र0इलाहाबाद।
3-सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
4-संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
5-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) आजमगढ़।
6-वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा मऊ।
7-जिला समाज कल्याण अधिकारी मऊ।
8-कार्यालय गार्ड फाईल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।